

सं० ई. 11011/27/2021-हिन्दी/605

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

300, पुस्तकालय भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 16 अगस्त, 2024

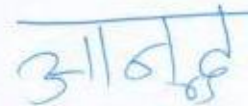
परिपत्र

विषय: केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं हिंदी कार्यशाला के नियमित आयोजन के संबंध में (मद सं.1)।

सदस्य, नदी प्रबंध, केन्द्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून, 2024 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 156वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अभियंताओं को निदेश कि यदि कोई, अधीनस्थ कार्यालय अपरिहार्य कारणवश कार्यशाला का आयोजन करने में असमर्थ हो तो वह संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह भी निदेश कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य में सीमित न रहकर शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने की दिशा में निरंतर प्रयास करें।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी कार्यशाला प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाए तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार, कृपया राजभाषा हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं।



(आनंद चन्द्र मल्लिक)

निदेशक (स्थापना-3) एवं राजभाषा प्रभारी

सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।